न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

जिला– मुंगेर (बिहार)

उपस्थित :– **राकेश कुमार सिंह,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
मुंगेर।

निर्णय की तिथि :– 02रीं जुलाई 2026

S.T. Case No. 377/2018

CIS NO.- 4790/2018

(Arising out of Muffasil P.S. Case No. 91/2010)

परिवादी/सूचक	**रवि रंजन**, पिता– रामानंद प्रसाद यादव, साकिन–नन्दलालपुर, थाना– मुफ्सिल, जिला– मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राम सेवक मंडल विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. **शशि भूषण प्रसाद उर्फ पिंकु यादव,** उम्र–52 वर्ष, पे0–स्व0 जगत नारायण प्रसाद 2. **संजय भूषण**, उम्र–39 वर्ष, पे0– स्व0 जगत नारायण प्रसाद यादव 3. **आनंद भूषण,** उम्र–44 वर्ष, पे0– स्व0 जगत नारायण प्रसाद यादव 4. **पप्पु यादव,** उम्र–47 वर्ष, पे0– नन्द किशोर यादव उर्फ कोको यादव 5. **सुबोध कुमार सुमन उर्फ सुबोध यादव**, उम्र–50 वर्ष, पे0– अवध प्रसाद सभी साकिन–नन्दलालपुर, थाना– मुफ्सिल, जिला– मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	1. श्री राजेश कुमार विद्वान अधिवक्ता 2. श्री उमेश कुमार विद्वान अधिवक्ता

Date of offense	**07.06.2010**
Date of FIR	**08.06.2010**
Date of Charge sheet	**31.05.2013**
Date of Framing of Charges	**06.01.2023**
Date of commencement of evidence	**23.02.2023**
Date on which judgment is reserved	**02.07.2026**
Date of the Judgment	**02.07.2026**
Date of the Sentencing order, if any	**-----**

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offenses Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1.	सुबोध कुमार सुमन उर्फ सुबोध यादव	------	------	Section 307,147,148,341, 324,149 I.P.C	अभियुक्त को रिहा किया गया।	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	.....
2.	पप्पु यादव	------	------	Section 307,147,148,341, 324,149 I.P.C	अभियुक्त को रिहा किया गया।	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	.....
3.	शशि भूषण प्रसाद उर्फ पिंकु यादव	------	------	Section 307,147,148,341, 324,149 I.P.C	अभियुक्त को रिहा किया गया।	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	.....
4.	आनन्द भूषण	------	------	Section 307,147,148,341, 324,149 I.P.C	अभियुक्त को रिहा किया गया।	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	.....
5.	संजय भूषण	------	------	Section 307,147,148,341, 324,149 I.P.C	अभियुक्त को रिहा किया गया।	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	.....

निर्णय

1. इस वाद में दिनांक 06.01.2023 को अभियुक्त 1. सुबोध कुमार सुमन उर्फ सुबोध यादव 2. पप्पु यादव 3. शशि भूषण प्रसाद उर्फ पिंकु यादव 4. आनन्द भूषण 5. संजय भूषण के विरूद्ध धारा **307,147,148,341, 324,149 I.P.C** के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया। अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़ कर सुनाया समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण अपने उपर लगाये गये आरोंपो से इनकार किये तथा विचारण का दावा किये।

2. यह वाद सूचक रवि रंजन के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें सूचक का यह कहना है कि दिनांक 07.06.2010 को रात्रि करीब11:00 बजे अभियुक्त 1. पिंकु यादव 2. संजय यादव 3. आनन्द यादव 4. पप्पु यादव 5. सुबोध ये सभी सूचक के भाई को घेर लिया और मॉ बहन लगाकर गाली देने लगा। सूचक का भाई डर से भागने लगा। सूचक और सूचक का भाई ने देखा कि पिंकु यादव के हाथ में दो नाली बंदूक, संजय यादव के हाथ में राईफल, आनन्द के हाथ मे दो नाली बंदूक, पप्पु यादव के हाथ में मासकेट, सुबोध यादव के हाथ में लाईंसेंसी रायफल था। सुबोध यादव ने लाईंसेंसी रायफल से सूचक के भाई को गोली मार दिया। गोली सूचक के भाई के कमर में लगा, सूचक का भाई गिर गया और बेहोश हो गया। *इसलिए मुफ्सिल थाना कांड संख्या– 91/2010 दिनांक 08.06.2010 अन्तर्गत धारा 147/148/149/341/324/307/504 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र संख्या–148/2013 दिनांक 31.05.2013 अन्तर्गत धारा 47/148/149/341/324/307/504 भा0द0वि0 एवं 27*

आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत समर्पित किया गया। जिस पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा संज्ञान लिया गया एवं वाद का विचारण हेतू दौरा–सुर्पुद कर दिया गया।

3. अभियोजन की ओर से इस वाद में निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :–

साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार	अभ्युक्ति
1.	देबू यादव	सामान्य साक्षी	
2.	विद्या भूषण यादव	सामान्य साक्षी	
3.	शशिधर प्रसाद यादव	सामान्य साक्षी	
4.	सुमित्रा देवी	सामान्य साक्षी	
5.	अमीर यादव	सामान्य साक्षी	

4. अभियोजन की ओर से दस्तावेंजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

5. बचाव पक्ष कि ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्त का धारा 313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत बयान दिनांक 23.06.2026 को दर्ज कराया गया, जिस पर अभियुक्तगण अपने विरूद्ध साक्ष्यों से इनकार किये तथा अपने को निर्दोष बताया।

7. क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्त–युक्त संदेहो से परे सिद्ध करने में सफल हुए है?

8. इस वाद में अभियोजन पक्ष कि ओर से कुल पांच साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। **साक्षी संख्या–01 देबू यादव** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना कि जानकारी नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहे है कि अभियुक्तगण को गॉव के नाते पहचानते है। मैने घटना नहीं देखा। मैनें गवाही अपने स्वेच्छा से दिया है। मुझे सूचना मिला तब मैं गवाही देने आया। **साक्षी संख्या–02 विद्या भूषण यादव** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि घटना कि

जानकारी नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहे है कि शशि भूषण आनंद, पिंकू, पप्पु ग्रामीण है, इसलिए पहचानता हूँ। अभियुक्त सुबोध कुमार यादव मेरे ग्रामीण है इसलिए मै उसे पहचानता हूँ। **साक्षी संख्या–03 शशिधर प्रसाद यादव** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि घटना कि जानकारी नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहे है कि शशि भूषण आनंद, पिंकू, पप्पु ग्रामीण है, इसलिए पहचानता हूँ। अभियुक्त सुबोध कुमार यादव मेरे ग्रामीण है इसलिए मै उसे पहचानता हूँ। मैंने गवाही स्वेच्छा से दिया है। **साक्षी संख्या–04 सुमित्रा देवी** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि घटना कि जानकारी नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहे है कि मुदालय पड़ोसी है इसलिए मैं उसे पहचानती हूँ। **साक्षी संख्या–05 अमीर यादव** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि घटना कि जानकारी नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहे है कि मैं स्वेच्छा से गवाही दी हूँ।

मन्तव्य

9. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह प्राथमिकी रवि रंजन के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध लाईंसेंसी रायफल से सूचक के भाई को गोली मारने का आरोप लगाया गया है। इसी आशय का मुफ्सिल थाना कांड 91/2010 दिनांक 08.06.2010 अन्तर्गत धारा 147/148/149/341/324/307/504 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया, जिसमें अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र धारा 147/148/149/341/324/307/504 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया एवं अभियुक्त 1. सुबोध कुमार सुमन उर्फ सुबोध यादव 2. पप्पु यादव 3. शशि भूषण प्रसाद उर्फ पिंकु यादव 4. आनन्द भूषण 5. संजय भूषण के विरूद्ध समर्पित किया गया।

10. वाद विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल पांच साक्षी प्रस्तुत किया गया है। साक्षीगण के द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हे घटना कि

जानकारी नही है और उनका पुलिस मे बयान नही हुआ है।ऐसी परिस्थिति में इन साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अभियुक्तों के विरूद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौंजूद नहीं है। अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित नहीं कर पाया है। यह अभियोजन का दायित्व है कि आरोप को संदेह से परे साबित करें। लेकिन अभियोजन अपने दायित्व के निर्वहन में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

12. अतः उपरोक्त तथ्य एवं साक्ष्यों को ध्यान मे रखते हुए सभी अभियुक्त 1. सुबोध कुमार सुमन उर्फ सुबोध यादव 2. पप्पु यादव 3. शशि भूषण प्रसाद उर्फ पिंकु यादव 4. आनन्द भूषण 5. संजय भूषण को धारा **307,147,148,341, 324,149 I.P.C** के अन्तर्गत निर्दोष पाते हुए, आरोपों से बरी किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

लेखापित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।
02.07.2026

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।
02.07.2026